# कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक – 2047/ 14–1 दिनांक, मुरादाबाद, जनवरी ,30 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– सम्भल में आगरा–मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0–93) नया एन0एच0–509 किमी0 186 चैनेज 186.180 की दांयी पट्री पर ग्राम अफजलपुर डरौली के खसरा संख्या–683 पर मै0 नयारा एनर्जी लि0 (पूर्व एस्सार ऑयल लि0) द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण की अनुमति।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1028/सम्भल/33049/2018 दिनांक–16.11.2018।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में इंगित की गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल ने अपने पत्र संख्या–1620/14–1,दिनांक 26–01–2019 द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग सम्भल से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या/संशोधित प्रस्ताव की 3–3 प्रतियां मूल में संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है–

| S.No. | Observation of Nodal Officer | Reply |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों के सापेक्ष पातन किये जाने वाले वृक्षों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। | संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रवेश मार्ग, निकासी एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों के सापेक्ष पातन किये जाने वाले वृक्षों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है जो कि प्रस्ताव के **पृष्ठ सं0–35** पर संलग्न है। |
| 2 | प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभावित वन भूमि की श्रेणी अंकित नहीं की गई है। संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। | प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभावित वन भूमि की श्रेणी अंकित कर दी गई है तथा संशोधित ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के **पृष्ठ सं0–51** पर संलग्न है। |
| 3 | प्रस्तावित वन भूमि की विस्तृत गणना संलग्न नहीं है। संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। | प्रस्तावित वन भूमि की विस्तृत गणना को प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–16 पर संलग्न है तथा ऑनलाईन भी अपलोड कर दिया गया है। |
| 4 | प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों का विवरण एवं उसके सापेक्ष पातन किये जाने वाले वृक्षों का विवरण स्पष्ट नहीं है। संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। | प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों का विवरण एवं उसके सापेक्ष पातन किये जाने वाले वृक्षों का स्पष्ट विवरण दे दिया गया है जो कि प्रस्ताव के **पृष्ठ सं0–50** पर संलग्न है तथा ऑनलाईन भी अपलोड कर दिया गया है। |
| 5 | प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 जमा किये जाने की बचनवद्धता में भविष्य में दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि जमा करने का उल्लेख अंकित नहीं किया गया है। संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। | प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 जमा किये जाने की बचनवद्धता में भविष्य में दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि जमा करने का उल्लेख अंकित कर दिया गया है जो कि प्रस्ताव के **पृष्ठ सं0–38** पर संलग्न है तथा ऑनलाईन भी अपलोड कर दिया गया है। |
| 6 | एन0पी0वी0 की गणना के शीर्षक में एन0टी0पी0वी0 अंकित है जो त्रुटिपूर्ण है। संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। | एन0पी0वी0 की गणना के शीर्षक में एन0टी0पी0वी0 के स्थान पर एन0पी0वी0 अंकित कर दिया गया है जो प्रस्ताव के **पृष्ठ सं0–39** पर संलग्न कर तथा संशोधित कर ऑनलाईन भी अपलोड कर दिया गया है। |
| 7 | प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउटप्लान पठनीय नहीं है। पठनीय ले–आउटप्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। | प्रस्ताव के साथ पठनीय ले–आउटप्लान संलग्न कर दिये गये है जो प्रस्ताव के **पृष्ठ सं0–18** पर संलग्न है। |
| 8 | ऑनलाईन पार्ट–2 के बिन्दु–4 पर वानस्पतिक घनत्व 0.02 अंकित है, जिसका आंकलन त्रुटिपूर्ण है। ऑनलाईन संशोधित कर पार्ट–2 की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। | ऑनलाईन पार्ट–2 के बिन्दु–4 पर वानस्पतिक घनत्व 0.02 के स्थान पर 0.2 कर दिया गया है। संशोधित पार्ट–2 की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गई जो प्रस्ताव के **पृष्ठ सं0–08** पर संलग्न है। |
| 9 | ऑनलाईन पार्ट–2 के Additional Information Details में प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों का विवरण अपलोड नहीं है। | ऑनलाईन पार्ट–2 के Additional Information Details में प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों का विवरण अपलोड कर दिया गया है। |

क्रमशः-2

| | | |
|---|---|---|
| 10 | ऑनलाईन पार्ट–2 पर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के स्थान पर वन संरक्षक को सम्बोधित पत्र अपलोड किया गया है जो सुसंगत नहीं है। | ऑनलाईन पार्ट–2 पर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का पत्र अपलोड कर दिया गया है। |
| 11 | प्रस्ताव के साथ संलग्न सी0डी0 में प्रस्तावित स्थल एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की Kml File उपलब्ध नहीं है। | प्रस्ताव के साथ संलग्न सी0डी0 में प्रस्तावित स्थल एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की Kml File संलग्न कर दी गई है। |

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 2047 / 14–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल को उनके पत्र संख्या–1620 / 14–1,दिनांक 26–01–2019 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक आख्या / संशोधित प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।